# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा

(पीठासीन अधिकारी राकेश कुमार आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 12/2016 – विविध प्रार्थना पत्र

1. अधीक्षक डाकघर , भीलवाडा मण्डल भीलवाडा

बनाम

1. आर. के. मीणा तत्कालीन उपडाकपाल मांडल (भीलवाडा)
2. जगदीश चन्द्र वैष्णव शाखा डाकपाल (पुट ऑफ ड्यूटी) मेजा माण्डल

– प्रार्थी

– अप्रार्थी

## राजस्थान पी0 डी0 आर0 एक्ट 1952

उपस्थित –

1. श्री भैरूलाल बापना एवं श्री विपुल बापना अधिवक्ता – प्रार्थी की ओर से
2. श्री बी. एल. वैष्णव अधिवक्ता – अप्रार्थी सं. 02 की ओर से

## निर्णय

दिनांक 23.12.2019

प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र राजस्थान पी.डी.आर. एक्ट 1952 के अंतर्गत अप्रार्थी के विरूद्व दिनांक 10.05.2016 को प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि अप्रार्थी श्री आर. के. मीणा तत्कालीन उपडाकपाल मांडल (भीलवाडा) के द्वारा मनीआर्डर भुगतान में रू. 9,74,750/– का गबन किया गया। श्री मीणा द्वारा मांडल उपडाकघर में फर्जी मनीआर्डर नम्बर का भुगतान बताकर सरकारी राशि का दुर्विनियोजन किया गया । श्री मीणा द्वारा किये गये गबन की राशि की वसूली नहीं की जा सकी हैं। श्री मीणा के नाम ग्राम गाडोली (जहाजपुर) में खाता सं. 297 में आराजी सं. 660/2 रकबा 4.10 बीघा बा. II लागत 1.66 दर्ज हैं। उक्त सम्पति पर तहसीलदार जहाजपुर के पत्र कमांक पंजीयन /2015/88 दिनांक 13.05.2015 के द्वारा हस्तांतरण पर रोक लगा दी गयी हैं। कार्यालय अधीक्षक डाकघर भीलवाडा मण्डल भीलवाडा के कमांक/एफ4/1/2004–05/भोजरास दिनांक 01.06.2017 से श्री मीणा द्वारा किये गये गबन प्रकरण में विभाग द्वारा श्री जगदीश चन्द्र वैष्णव शाखा डाकपाल (पुट ऑफ ड्यूटी) मेजा माण्डल को सह अपराधी बनाया गया हैं। विभागीय कार्यवाही के अन्तर्गत श्री वैष्णव के विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित हैं। पटवार हल्का मेजा तहसील माण्डल की जमाबंदी के आधार पर श्री जगदीशचन्द्र वैष्णव के नाम खाता संख्या 264/251 खसरा नं. 354 व 294 तथा नामान्तरकरण संख्या 2774 दिनांक 20.11.2014 के अन्तर्गत रकबा 3.17 बीघा कृषि भूमि दर्ज हैं। श्री जगदीश चन्द्र वैष्णव के विरूद्व पी.डी. आर. एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज करने हेतु फार्म नम्बर एक संलग्न किया हैं। अतः निवेदन हैं कि श्री आर.के.मीणा एवं श्री जगदीश चन्द्र वैष्णव के विरूद्व पी.डी.आर. एक्ट के तहत प्रकरण

दर्ज कर सरकारी हानि की रकम वसूली की व्यवस्था करावें ।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 16.05.2016 को पंजीकृत करते हुये अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया। विपक्षीगण की ओर से जवाब पेश किया गया।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उभयपक्षों की बहस सुनी गयी ।

प्रार्थी ने अपनी बहस में बताया कि अप्रार्थी श्री आर. के. मीणा तत्कालीन उपडाकपाल मांडल (भीलवाडा) के द्वारा मनीआर्डर भुगतान में रू. 974750/– का गबन किया गया । श्री मीणा द्वारा मांडल उपडाकघर में फर्जी मनीआर्डर नम्बर का भुगतान बताकर सरकारी राशि का दुर्विनियोजन किया गया। श्री मीणा द्वारा किये गये गबन की राशि की वसूली नहीं की जा सकी हैं। श्री जगदीश चन्द्र वैष्णव शाखा डाकपाल (पुट ऑफ ड्यूटी) मेजा माण्डल को सह अपराधी बनाया गया हैं। विभागीय कार्यवाही के अन्तर्गत श्री वैष्णव के विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही लम्बित हैं। पटवार हल्का मेजा तहसील माण्डल की जमाबंदी के आधार पर श्री जगदीशचन्द्र वैष्णव के नाम खाता संख्या 264/251 खसरा नं. 354 व 394 तथा नामान्तरकरण संख्या 2774 दिनांक 20.11.2014 के अन्तर्गत 3.17 बीघा कृषि भूमि दर्ज हैं। श्री जगदीशचन्द्र वैष्णव के विरूद्व पी.डी.आर. के तहत प्रकरण दर्ज करने हेतु फार्म नम्बर एक संलग्न किया हैं। अतः निवेदन हैं कि श्री आर.के.मीणा एवं श्री जगदीशचन्द्र वैष्णव के विरूद्व पी.डी.आर. एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर सरकारी हानि की वसूली की व्यवस्था करने की कृपा करावें।

अप्रार्थी संख्या 01 ने अपनी बहस में बताया कि अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा कोई मनीआर्डर का भुगतान नहीं किया गया। जो भुगतानसुदा मनीऑर्डर शाखा डाकपालों से प्राप्त होता था उसको हिसाब में लेकर प्रधान डाकघर, भीलवाडा को भेजता था । अप्रार्थी संख्या 01 लगातार सरकारी सेवा में हैं, अगर अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा गबन होता हैं तो सरकार अप्रार्थी संख्या 01 के वेतन से वसूल लेती, परन्तु ऐसा नहीं हैं क्योंकि अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा कोई गबन नहीं किया गया । अप्रार्थी संख्या 01 के विरूद्व 793000/– की एफ.आई.आर. माण्डल थाने में दर्ज करवाई जो विभाग से गबन संबंधित रिकार्ड मांग रहे हैं , परन्तु रिकार्ड विभाग द्वारा नहीं दिया गया। विभाग द्वारा 135000/– विभागीय जांच बैठा रखी हैं जो चल रही हैं । अभी तक निर्णय नहीं आया हैं , तो फिर गबन राशि वसूल करने का औचित्य कहां हैं। इस प्रकार न तो पुलिस व न ही विभाग द्वारा अभी तक गबन साबित हुआ है तो वसूल करने का औचित्य क्या हैं। विभागीय अधिकारियों की जाँच रिपोर्ट में शाखा डाकपाल मेजा मुख्य आरोपी हैं उसके विरूद्ध कोई वसूली नहीं हो रही हैं , क्योंकि मनीआर्डरों का भुगतान शाखा डाकपाल मेजा द्वारा किया गया हैं । मेजा अलग से ऑफिस हैं। गबन राशि वसूलने हेतु न्यायालय में 974750/– राशि दिखाई । इस प्रकार विभाग द्वारा हर जगह अलग–अलग राशि दर्शाना इस बात को दर्शाता हैं कि वो अप्रार्थी संख्या 01 को फंसाना चाहते हैं । अप्रार्थी संख्या 01 ने कोई सरकारी राशि का गबन नहीं किया हैं , ना ही गबन साबित हुआ हैं। अतः निवेदन हैं कि मामले को बन्द कराने का आदेश करावें।

अप्रार्थी संख्या 02 ने अपनी बहस में बताया कि अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा करीब 20–22 वर्ष से डाक विभाग में सेवा प्रदान की गयी जिसमें एक भी रूपये का गबन संबंधी रिकार्ड नहीं हैं। विभाग द्वारा विपक्षी आर.के.मीणा के विरूद्व एक फौजदारी प्रकरण थाना

माण्डल में बाबत् गबन 9,74,750/–रूपये का पेश किया गया। जिसमें अति. मुख्य न्यायाधीश माण्डल के यहां प्रकरण संख्या 225/2016 रे.फो. दर्ज होकर विचाराधीन हैं। जिसका निर्णय होना शेष हैं। जिसमें विपक्षी सं. 02 जगदीश चन्द्र वैष्णव पर किसी प्रकार का आरोप नहीं हैं। विपक्षी संख्या 02 को आर.के. मीणा द्वारा किये गये गबन के साथ लिप्त होना बताया गया जिसकी अपील उच्च अधिकारी पी.एम.जी. अजमेर के यहां पेश की गयी जो विचाराधीन हैं। विभाग द्वारा की गई विभागीय कार्यवाही फौजदारी प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन होते हुए भी बिना न्यायालय द्वारा आरोप सिद्ध किये जाने के कार्यवाही की गयी जो विधि विरूद्व हैं एवं एक ही अपराध के लिये अलग अलग कार्यवाही नहीं की जा सकती हैं तथा न ही दण्डित किया जा सकता हैं। निवेदन हैं कि अप्रार्थी संख्या 02 जगदीश चन्द्र वैष्णव डाकपाल मेजा के विरूद्व कार्यवाही खारिज की जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। जिस उपरान्त पाया गया कि श्री आर.के. मीणा तत्कालीन उपडाकपाल माण्डल द्वारा माण्डल उप डाकघर में मनीऑर्डर भुगतान में किये गये रूपये 9,74,750/– गबन प्रकरण में श्री जगदीश चन्द्र वैष्णव ग्रामीण डाक सेवक शाखा डाकपाल मेजा (माण्डल) को विभागीय जांच में सह अभियुक्त चिन्हित किया गया था। उक्त जगदीश चन्द्र वैष्णव ग्रामीण डाक सेवक द्वारा अपने कर्तव्य के प्रति बरती गयी लापरवाही एवं सहभागिता के क्रम में ग्रामीण डाक सेवक (आचरण एवं नियोजन) नियमावली 2011 के नियम 10 के अंतर्गत आरोप पत्र जारी कर अनुशासनात्मक कार्यवाही की गयी। अधीक्षक डाकघर भीलवाडा द्वारा श्री अमित कुमार जैन ए.एस.पी. (पश्चिम) भीलवाडा से कराई गयी जाँच दिनांक 11.05.2015 के पेज सं. 2 से 22 जो पत्रावली में उपलब्ध हैं। इस जाँच के पेज सं. 14 से 18 में अंकित विवरण के अनुसार 9,74,750/–की राशि का गबन श्री आर0के0मीणा व श्री जगदीश वैष्णव के द्वारा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से किया जाना माना हैं। उक्त अनुशासनात्मक कार्यवाही के परिणामस्वरूप उक्त श्री जगदीशचन्द्र वैष्णव ग्रामीण डाक सेवक को अधीक्षक डाकघर भीलवाडा के ज्ञापन संख्या यदि समसंख्यक दिनांक 27.10.2017 के तहत सेवा से बर्खास्त का दण्डादेश दिया गया था। इस दण्डादेश के विरूद्व श्री जगदीशचन्द्र वैष्णव द्वारा अपील प्रस्तुत की है। श्री जगदीशचन्द्र वैष्णव पूर्व ग्रामीण डाक सेवक शाखा डाकपाल मेजा (माण्डल) ने अधीक्षक डाकघर भीलवाडा के ज्ञापन संख्या एफ 4/1/2014–15/माण्डल भीलवाडा दिनांक 27.10.2017 के तहत दिये गये दण्ड के विरूद्व दिनांक 25.01.2018 को भारतीय डाक विभाग कार्यालय पोस्टमास्टर जनरल राजस्थान दक्षिणी क्षैत्र अजमेर के यहां अपील प्रस्तुत की गयी। इस अपील के निर्णय दिनांक 11.02.2019 में अपीलकर्ता को दिनांक 27.10.2017 को दिये गये सेवा से बर्खास्त के आदेश को यथावत रखा गया हैं।

इसी प्रकार अधीक्षक डाकघर भीलवाडा मण्डल भीलवाडा के आदेश क्रमांक/एफ3/01/2013–14/माण्डल दिनांक 29.12.2017 से श्री आर.के.मीणा पूर्व उप डाकपाल माण्डल को सेवा से बर्खास्त किया गया। इस दण्ड के विरूद्व श्री.आर.के. मीणा द्वारा भारतीय डाक विभाग कार्यालय पोस्टमास्टर जनरल राजस्थान दक्षिणी क्षैत्र अजमेर के यहां अपील प्रस्तुत की गयी। इस अपील के निर्णय दिनांक 01.211.2018 में अपीलकर्ता को दिनांक

29.12.2017 को दिये गये सेवा से बर्खास्त के आदेश को यथावत रखा गया हैं।

अधीक्षक डाकघर भीलवाडा मण्डल भीलवाडा के निर्णय दिनांक 27.10.2017 व 29.12.2017 अनुसार सामाजिक सुरक्षा पेंशन भुगतान मनीआर्डर भुगतान में सरकार राशि 9,74,750/–रूपये मय ब्याज व वसूली खर्च का दुर्विनियोजन श्री रामकुंवार मीणा उप डाकपाल माण्डल (निलम्बित) द्वारा एवं श्री जगदीश चन्द्र वैष्णव ग्रामीण डाक सेवक शाखा डाकपाल मेजा (माण्डल) द्वारा दुर्विनियोजन किया जाने से उक्त राशि वसूली करने हेतु पी.डी. आर. एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर दोषी निम्न कार्मिकों से उनके नाम के सामने अंकित आराजी भूमि से कुर्की व निलामी कार्यवाही किया जाना युक्ति युक्त हैं।

1. श्री रामकुवांर मीणा के नाम ग्राम गाडोली तहसील जहाजपुर में खाता संख्या 297 आराजी संख्या 660/2 रकबा 4.10 बीघा भूमि

श्री जगदीश चन्द्र वैष्णव के नाम पटवार हल्का मेजा तहसील माण्डल में खाता संख्या 264/251 खसरा नं. 354 व 394 तथा नामान्तरकरण संख्या 2774 दिनांक 20.11.2014 रकबा 3.17 बीघा भूमि

उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पीडीआर एक्ट के अंतर्गत वसूली करने संबंधी स्वीकार योग्य ठहरता है । अतएव –

## आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 10.05.2016 का राजस्थान पीडीआर एक्ट 1952 के अंतर्गत स्वीकार किया जाता हैं। अधीक्षक डाकघर भीलवाडा मण्डल भीलवाडा के निर्णय दिनांक 27.10.2017 व 29.12.2017 अनुसार श्री रामकुंवार मीणा उप डाकपाल माण्डल (निलम्बित) एवं श्री जगदीश चन्द्र वैष्णव ग्रामीण डाक सेवक शाखा डाकपाल मेजा (माण्डल) द्वारा दुर्विनियोजन किया जाने से 9,74,750/–रूपये मय ब्याज व वसूली खर्च राशि वसूली करने हेतु पी.डी.आर. एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर दोषी निम्न कार्मिकों से उनके नाम के सामने अंकित आराजी भूमि से कुर्की व निलामी कार्यवाही करने हेतु जिला कलक्टर (राजस्व लेखा) को निर्णय की प्रति भेजी जावे।

1. श्री रामकुवांर मीणा के नाम ग्राम गाडोली तहसील जहाजपुर में खाता संख्या 297 आराजी संख्या 660/2 रकबा 4.10 बीघा भूमि
2. श्री जगदीश चन्द्र वैष्णव के नाम पटवार हल्का मेजा तहसील माण्डल में खाता संख्या 264/251 खसरा नं. 354 व 394 तथा नामान्तरकरण संख्या 2774 दिनांक 20.11.2014 रकबा 3.17 बीघा भूमि

निर्णय आज दिनांक 23.12.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार )
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भीलवाडा